



छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. **1431** /F-01001388/एल-8-1/ब-4/चार, नया रायपुर, दिनांक **11** /**01**/2018
प्रति,

1. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
2. समस्त अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

विषय :- वित्त विभाग के शाखाओं के मध्य आंतरिक कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन
संदर्भ : वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 918/F-01001388/एल-8-1/ब-4/चार,
दिनांक 10.10.2017

वित्त विभाग के आंतरिक कार्य विभाजन दिनांक 10.10.2017 के सरल क्रमांक-9
वित्त आयोग प्रकोष्ठ के अंतर्गत आंशिक संशोधन करते हुए (अ) केन्द्रीय वित्त आयोग एवं (ब)
राज्य वित्त आयोग का कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार सौंपा जाता है।

2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


11.01.18
(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्र. **1432**/F-01001388/एल-8-1/ब-4/चार नया रायपुर, दिनांक **11** /**01**/2018
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
2. संबंधित अधिकारी.....


11.01.18
(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

प्रकोष्ठ						
9 (वित्त आयोग प्रकोष्ठ)	अ. केन्द्रीय वित्त आयोग (13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य	श्री कंवल धर सारथी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	श्री मोती राम खुटे अवर सचिव	डॉ. ए.के. सिंह संयुक्त सचिव	डॉ. कमलप्रीत सिंह सचिव	श्री अभिताम जैन प्रमुख सचिव
	ब. राज्य वित्त आयोग से संबंधित कार्य	श्री कंवल धर सारथी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	श्री मोती राम खुटे अवर सचिव	डॉ. ए.के. सिंह संयुक्त सचिव	डॉ. कमलप्रीत सिंह सचिव	श्री अभिताम जैन प्रमुख सचिव

नोट :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1431 /सम./ब-4/चार, दिनांक 11 /01/2018 से प्रभावशील ।